अध्याय 6
प्रकीर्ण

1898 के अधिनियम 6 का संशोधन ।

131. भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की प्रथम अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, रखी जाएगी, अर्थात् :--

"प्रथम अनुसूची

(धारा 7 देखिए)

अंतर्देशीय डाक महसूल की दरें

पत्र

बीस ग्राम से अनधिक वजन के लिए	4.00 रु0
बीस ग्राम से अधिक के हर बीस ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए	4.00 रु0

पत्र-कार्ड

पत्र कार्ड के लिए	2.00 रु0

पोस्टकार्ड

पोस्ट कार्ड (जो ऐसे पोस्टकार्ड नहीं हैं जिनमें मुद्रित संसूचना या प्रतियोगिता पोस्टकार्ड है)	
एकल	50 पैसे
जवाबी	1.00 रु0

मुद्रित पोस्टकार्ड

पोस्टकार्ड जिनमें मुद्रित संसूचना है (जो प्रतियोगिता पोस्टकार्ड नहीं है)

एक पोस्टकार्ड के लिए	3.00 रु0

स्पष्टीकरण--यदि पोस्टकार्ड में कोई बात (भेजने वाले के नाम और पते तथा उससे संबंधित अन्य विशिष्टियों तथा भेजने के स्थान और तारीख को छोड़कर) मुद्रण या चक्र-मुद्रण या किसी अन्य यांत्रिकी प्रक्रिया द्वारा, टंकण के सिवाय, पोस्टकार्ड के पते वाले पृष्ठ के दाहिने हाथ के आधे भाग के सिवाय किसी अन्य भाग पर अभिलिखित की जाती है तो यह समझा जाएगा कि उस पोस्टकार्ड में मुद्रित संसूचना है ।

प्रतियोगिता पोस्टकार्ड

एक पोस्टकार्ड के लिए	5.00 रु0

स्पष्टीकरण--यदि पोस्टकार्ड का प्रयोग टेलीविजन, रेडियो, समाचारपत्र, पत्रिका अथवा किसी अन्य संचार माध्यम से आयोजित किसी प्रतियोगिता के जवाब में किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि वह पोस्टकार्ड, प्रतियोगिता पोस्टकार्ड है ।

पुस्तक पैटर्न और सैम्पल पैकेट

प्रथम पचास ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए	3.00 रु0
पचास ग्राम से अधिक के हर अतिरिक्त पचास ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए	4.00 रु0

रजिस्ट्रीकृत समाचारपत्र

पचास ग्राम से अनधिक वजन के लिए	25 पैसे
पचास ग्राम से अधिक किन्तु एक सौ ग्राम से अनधिक वजन के लिए	50 पैसे
एक सौ ग्राम से अधिक के हर अतिरिक्त एक सौ ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए	20 पैसे

किसी रजिस्ट्रीकृत समाचारपत्र के उसी अंक की एक से अधिक प्रतियां एक ही पैकेट में ले जाने की दशा में--

एक सौ ग्राम से अनधिक वजन के लिए	50 पैसे
एक सौ ग्राम से अधिक के हर अतिरिक्त एक सौ ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए	20 पैसेः

परंतु ऐसा पैकेट किसी प्रेषिती के निवास स्थान पर परिदत्त नहीं किया जाएगा किन्तु किसी मान्यताप्राप्त अभिकर्ता को डाकघर में दिया जाएगा ।

पार्सल

पांच सौ ग्राम से अनधिक वजन के लिए	16.00 रु0
पांच सौ ग्राम से अधिक के हर पांच सौ ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए	15.00रु0 ।"।

132. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में,-- 1956 के अधिनियम 74 की धारा 14 का संशोधन।

(क) खंड (iiग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(iiघ) किसी टर्बो-प्रौप वायुयान को विक्रय किया गया विमानन टर्बाइन ईंधन ।

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "टर्बो-प्रौप वायुयान" से ऐसा वायुयान अभिप्रेत है जो मुख्य रूप से ऐसे नोदित्र से प्रणोद प्राप्त करता है, जो टर्बाइन ईंजन या पिस्टन ईंजन से चलाया जा सकता है ;';

(ख) खंड (iv) में, उपखंड (i) में, "कच्चा लोहा और" शब्दों के स्थान पर "कच्चा लोहा, स्पंजी लोहा और" शब्द रखे जाएंगे ।

133. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 55, का 1 अप्रैल, 2002 से लोप किया जाएगा । 1981 के अधिनियम 61 की धारा 55 का लोप।

134. राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 48 का, 1 अप्रैल, 2002 से लोप किया जाएगा । 1987 के अधिनियम 53 की धारा 48 का लोप।

135. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 50 का, 1 अप्रैल, 2002 से लोप किया जाएगा । 1989 के अधिनियम 39 की धारा 50 का लोप।

अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा

यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खंड 110, खंड 113 के उपखंड (क), खंड 127, खंड 128 और खंड 129 के उपबंधों का, अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन तात्कालिक प्रभाव होगा। 1931 का 16